कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या

पत्रांक : मा0प्रत्या0/ /2019–20 दिनांक 21-10-19

कार्यालय आदेश

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राज्य सरकार द्वारा पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में विहित प्राविधानों के दृष्टिगत अशासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता हेतु मानक एवं शर्तों से संबंधित जारी शासनादेश के अनुक्रम मे कार्यवाही किये जाने का प्राविधान किया गया है। विकासखण्ड मया की सार्वजनिक भूमि (पशुचर) पर डा0 भीमराव अम्बेडकर जूनियर हाईस्कूल तेलियाकुआ, जरही, शिक्षाक्षेत्र मया नामक विद्यालय के संचालित होने विषयक शिकायत प्राप्त हुई, जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी सदर द्वारा करायी गयी जांच में शिकायत सत्य पायी गयी। तहसील स्तर से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार शासकीय पशुचर की भूमि गाटासंख्या 122/1. 0650 हे0, गाटा संख्या 148/0.1740 हे0, खेल के मैदान गाटासंख्या 754/0.0340 हे0 व सार्वजनिक आबादी की भूमि गाटा संख्या 125/0.2530 हे0 भूमि विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा अवैध रूप से हडप ली गयी है।

तत्क्रम में सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अयोध्या मण्डल, अयोध्या द्वारा अपने पत्रांक : मान्यता प्रत्याहरण/100–04/2019–20 दिनांक 20.04.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक : बेसिक/मान्यता/556–61/2019–20 दिनांक 23.04.2019 द्वारा उक्त संदर्भित विद्यालय से 30 दिवस का समय देते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके क्रम में विद्यालय प्रबन्धक द्वारा पूर्व में प्रबन्धक के विरूद्ध योजित प्राथिमिकी मु0अ0सं0 284/18 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट्याचिका संख्या 22928/18 के लम्बित होने के आधार पर आरोपित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने के बजाय उक्त नोटिस वापस लेने की मांग की गयी है।

उल्लेखनीय है कि तहसील सदर स्तर से प्राप्त आख्या में उल्लिखित किया गया है कि "गाटा संख्या 122, 148, 125 व 754 जोत चकबन्दी आकारपत्र 45 से लेकर वर्तमान खतौनी तक कभी भी डा0 भीमराव अम्बेडकर जूनियर हाईस्कूल तेलियाकुंआ जरही के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं रही है, परन्तु पत्रावली में संलग्न खतौनी (हस्तलिखित छायाप्रति) ग्राम जरही के गाटा संख्या 122, 125, 148 व 754 को डा0 भीमराव अम्बेडकर जूनियर हाईस्कूल जरही के नाम अंकित करके दर्शाया गया है और इसी आधार पर विद्यालय की मान्यता प्राप्त की गयी है। राजस्व अभिलेखों के परीक्षण से स्पष्ट है कि डा0 भीमराव अम्बेडकर जूनियर हाईस्कूल जरही के नाम कूटरचित खतौनी तैयार कर विद्यालय की मान्यता प्राप्त की गयी है।"

सबंधित विद्यालय द्वारा दिया गया उक्त संदर्भित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के मान्यता प्रत्याहरण हेतु शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक : बेसिक/2134–40/2019–20 दिनांक 28.05.2019 द्वारा विद्यालय की सम्यक जांच किये जाने हेतु त्रिसदस्यीय जांच समिति से अपेक्षा की गयी। उक्त के क्रम में त्रियदस्यीय समिति द्वारा संयुक्त रूप से उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया कि पत्रावली में संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट है कि प्रबन्धक द्वारा तत्समय कूटरचित राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करके विद्यालय की मान्यता प्राप्त की गयी है। अतः समिति सर्व–सम्मति से डा0 भीमराव अम्बेडकर जू0हा0स्कूल तेलियाकुआ जरही, शिक्षाक्षेत्र मया के मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति करती है।

शासनादेश में विहित प्राविधानानुसार पुनः संबंधित विद्यालय के प्रबन्धक को इस कार्यालय के पत्रांक : बेसिक/2789–95/2019–20 दिनांक 21.06.2019 द्वारा आरोपित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दिये जाने हेतु पुनः अवसर प्रदान किया गया किन्तु संबंधित विद्यालय द्वारा कोई आख्या/स्पष्टीकरण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उक्त विद्यालय द्वारा अनियमित रूप से विद्यालय की मान्यता प्राप्त कर संचालन किया जा रहा है। फलतः डा0 भीमराव अम्बेडकर जू0हा0स्कूल तेलियाकुआं जरही, शिक्षाक्षेत्र मया की मान्यता संबंधित प्रबन्धक द्वारा तत्समय कूटरचित राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करके विद्यालय की मान्यता प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत विद्यालयों को पूर्व में प्रदान की गयी मान्यता प्रत्याहरित किये जाने की संस्तुति की गयी। उपरोक्त के क्रम में सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक : बे0शि0प0/11251–53/2019–20 दिनांक 18.09.2019 द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर जू0हाईस्कूल तेलियाकुआं, जरही, शिक्षाक्षेत्र मया की मान्यता प्रत्याहरित करने का मुखरित आदेश जारी करने का निर्देश प्रदान किया गया।

अतः उपरोक्त के क्रम में राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर डा0 भीमराव अम्बेडकर जू0हा0स्कूल तेलियाकुआं जरही, शिक्षाक्षेत्र मया के प्रबन्धक द्वारा सार्वजनिक भूमि (पशुचर) पर विद्यालय के संचालित करने एवं कूटरचित राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करके विद्यालय की मान्यता प्राप्त करने के आरोप में डा0 भीमराव अम्बेडकर जू0हाईस्कूल जेलियाकुआ, जरही, शिक्षाक्षेत्र मया की मान्यता प्रत्याहरित किया जाता है। साथ ही खण्ड शिक्षा अधिकारी मया को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विद्यालय का संचालन अनुवर्ती शैक्षणिक सत्र से बन्द कराना सुनिश्चित करें और विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं का नामांकन स्थानीय पूर्व मा0 विद्यालय दलपतपुर, पूर्व मा0 विद्यालय जरही प्रथम एवं पूर्व मा0 विद्यालय रामपुर पुवारी में कराना सुनिश्चित करें, जिससे छात्र–छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।

भवदीया

(अमिता सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अयोध्या

पृ. सं. : मा0प्रत्या0/9643–54/2019–20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, अयोध्या।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
3. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
4. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, अयोध्या को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विद्यालय के मान्यता प्रत्याहरण की सूचना बेबसाइट पर प्रदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक करने का कष्ट करें।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) अयोध्या।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी मया को उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
8. प्रबन्धक, डा0 भीमराव अम्बेडकर जू0हाईस्कूल जेलियाकुआं, जरही, शिक्षाक्षेत्र मया, जनपद अयोध्या को इस आशय से कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अयोध्या